



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : प्रशासनिक भवन हल्दीना, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2026/334

दिनांक : 08.05.2026

—:कार्यालय आदेश:—

दिनांक 18.04.2026 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक की कार्यवाही विवरण की बिन्दु संख्या 04 के अनुसरण में निजी अकादमिक महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता का विस्तार सत्र 2025-26 के लिए दिये जाने की अभिशंषा की गई है। कुलगुरु महोदय के अनुमोदन दिनांक 06.05.2025 की अनुपालना में निम्नलिखित महाविद्यालय की उनके सम्मुख सीटों एवं विषयों में सत्र 2025-26 की अस्थाई सम्बद्धता में विस्तार किया जाता है।

The college for granting extension for provisional affiliation for the session 2025-26

Sr. No.	College Code	College Name	Course Name/Subject Name	Course Seat
1	142	MATSYA COLLEGE, BANSUR	Bachelor of Arts, PUBLIC ADMINISTRATION, POLITICAL SCIENCE, HISTORY, HINDI LITERATURE, ENGLISH LITERATURE, SANSKRIT, HOME SCIENCE, GEOGRAPHY, ECONOMICS, SOCIOLOGY	500
			Bachelor of Science (Bio Group) CHEMISTRY, BOTANY, ZOOLOGY	120
			Bachelor of Science (Maths Group) CHEMISTRY, MATHEMATICS, PHYSICS	120
			M A HINDI	40
			M A POLITICAL SCIENCE	40
			M A SANSKRIT	60
			M.A./M.SC.. GEOGRAPHY	40
			M.A./M.SC.MATHEMATICS	40
			M.SC.. BOTANY	40
			M.SC.. CHEMISTRY	40
			M.SC.. PHYSICS	40
			M.SC.. ZOOLOGY	40

The colleges are directed not to admit excess students beyond the number of seats sanctioned to them, in case they admit excess student they will be treated as non-collegiate and appropriate action for de-affiliation will be initiated against the college.

01. महाविद्यालय द्वारा यूजीसी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

02. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि महाविद्यालय द्वारा पत्रावली में जमा करवाये गये दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
03. सम्बद्धता शुल्क के साथ जमा जीएसटी एवं भविष्य में जीएसटी विभाग द्वारा मांगे जाने वाले जीएसटी राशि में कोई भिन्नता होती है तो महाविद्यालय को जीएसटी की राशि विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी। इसी प्रकार सम्बद्धता शुल्क के किसी अन्य घटक की वसूली निकलती है तो राशि विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी।
04. महाविद्यालय के द्वारा यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से दें।
05. महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित कमियां तीन माह में पूर्ण करना आवश्यक होगा:-
- i. यू.जी.सी./एनसीटीई के नियमानुसार नियुक्त आवश्यक संख्या में प्राचार्य शैक्षणिक स्टाफ के अनुमोदन की छाया प्रति।
 - ii. महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक पाठ्यक्रमों व विषयों में प्रयोगशालाओं व आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के प्रमाण फोटोग्राफ एवं विडियो सहित।
 - iii. महाविद्यालय में पुस्तकालय में पाठ्यक्रम एवं विषयों की संख्या एवं आवंटित संख्या को देखते हुए पुस्तकों/जर्नलों/सन्दर्भ पुस्तकों की सूची एवं रजिस्टर सहित।
 - iv. महाविद्यालय में भवन, स्टाफ रुम, खेल मैदान, ऑडिटोरियम आदि की सुविधाएँ नियमानुसार संख्या एवं परिमाण में उपलब्धता के प्रमाण, सोसायटी के नाम भूमि एवं प्रत्यारोप।
 - v. महाविद्यालय के सम्बन्ध में भूमि का क्रयनामा पंजीयन/दाखिला खरिज/रजिस्ट्री पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट के नाम से होने के प्रमाण संबंधी दस्तावेज।
 - vi. महाविद्यालय का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त के संबंध में सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में कमियों की पूर्ति के संबंध में 07 दिवस में शपथ पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
06. उपरोक्त महाविद्यालयों का सम्बद्धता शुल्क माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या SB CIVIL WRIT PETITION 5892/2025 ऑल राजस्थान प्राईवेट कॉलेज फेडरेशन सोसायटी बनाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के निर्णयाधीन रहेगा।

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2026/335-339
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
03. निजी सहायक, कुलगुरु महोदय।
04. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.।
05. रक्षित पत्रावली।

(गोपाल कालरा)
कुलसचिव

दिनांक : 08.05.26

(गोपाल कालरा)
कुलसचिव